

राम भगत और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -[^]pwtrfeMfi

सीडब्ल्यूपीनं. 2010 का 14452 और

संबंधित रिट याचिकाएँ

6 दिसंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894—एस. 48—हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, जे975—एस. 3-हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन नियम, 19 76-याचिकाकर्ताओं की भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जानी है-भूमि मालिक समूह आवास और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्र के विकास के लिए एक कंपनी के साथ सहयोग समझौता कर रहे हैं-याचिकाकर्ताओं की पात्रता, उनकी उनके द्वारा प्रस्तावित योजना की वैधता विरोधी क्षमता विवादित नहीं है या उत्तरदाताओं द्वारा आपत्ति नहीं की गई है - पूरी भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क और जांच शुल्क स्वीकार करने के बाद उत्तरदाता पूरी तरह से गैर-मौजूद आधार पर दावे से इनकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया है - याचिकाएँ स्वीकार की गईं।

निर्णय, कि उत्तरदाताओं ने संपूर्ण भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क और जांच शुल्क स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं को जांच में लाइसेंस देने के लिए पात्र पाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विकास योजना/योजना उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित तकनीकी और विकासात्मक मानदंडों की पूर्ति करती है, जैसा कि प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत योजना संपूर्ण भूमि से संबंधित है। पूरी भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क और जांच शुल्क स्वीकार करने के बाद उत्तरदाता अब पूरी तरह से गैर-मौजूद आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिग्रहण के बावजूद याचिकाकर्ताओं का पूरी भूमि पर कब्जा बना हुआ है, सरकारी नीतियों और 1975 अधिनियम की धारा 3 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया है। अत्यंत मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से, इन याचिकाओं को अनुमति दी जाती है।(1) तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और कानून के सवालों के आधार पर, इन याचिकाओं पर सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। इन याचिकाओं को दाखिल करने के लिए किए गए समझौतों पर समय-समय पर उपयोगी ढंग से ध्यान दिया जा रहा है।

(2) 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14452 में याचिकाकर्ता नंबर 1 से 48 (बाद में "मालिकों के रूप में संदर्भित) सेक्टर 27 में गांव पहरावर, गढ़ी बोहर और खेड़ी साध की राजस्व संपत्ति में स्थित 85.83 एकड़ जमीन के मालिक थे। जिला रोहतक. उपरोक्त गांवों से संबंधित वर्ष 1998-99 और 2000-2001 की जमाबंदी प्रासंगिक समय पर उनके स्वामित्व को दर्शाती है। 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14451 में याचिकाकर्ता नंबर 2 से 73 (बाद में "मालिकों के रूप में संदर्भित) जिला रोहतक के सेक्टर 27 में गांव गढ़ी बोहर और खेड़ी साध की राजस्व संपत्ति में स्थित 84.04 एकड़ जमीन के मालिक थे। इसी प्रकार, 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14453 में याचिकाकर्ता नंबर 1 से 205 (बाद में "मालिकों के रूप में संदर्भित) गांव गढ़ी बोहर की राजस्व संपत्ति में स्थित 11304 एकड़ जमीन के मालिक थे।

UimudopAnp .IOJ Aundmoj nqi ipi w iiniunnaSu uojipjoqn||on oiui paimun ,\pi'o.i|E n xnq Amp mip pmnniuniuiun osp pun pm?] mp jo uopisuibnc mp isuinnu suoipnfqo jimp pnpj 5 1101 ions j;)Plin nnpou i |U xx paxans naaxx oqAx SJOUAXOnqijjoqns sanuwo nip puundo pauns iou ai maxx snnnou osmp im pnSopusi](sunupaimp iiiuqns 01 tump nui^sn py tbS l 3lld° 6 uoipns .inpun snnnou pnnssi aixx sanu XXO pun| nqijo muos एइओइपु लुनपडियुओन निप मोअज नान? |upjniuiun अपराह? pun pmq apqi mnqiaiuon 01 naaxx samixxo nip 'luniunnaSB uonB-

ioqB||on nip anpiif C()0c 'q^'-K Puc 110 snsodand pirimuiuoA pun Suisnoq dno3 JOJ Qinaqi
 |o lumudopAOp.ioj 9551 'py sniundauoj nqi anpun pmuaopaonui (..umdiuoj.. nip si? oj pnxppj
 jnpnpjnj) (H)£jo istH 'ON <IM3 II! 90C o\ .muonnd pur? oio£jo I s'ft* 1 °\ d.W.) u! I °N
 anuopnnd '(HOc/ सीएसटीएच डब्ल्यू सीएलडब्ल्यूजे «! Gt o\ .muopipd su pnXnaau pnpiui'] niBAiaq
 snnandoa([IIBSBI) anppfj s/pj ipinx juoiunrunn uonuioqBpon 01111 pnumun •H|iqA\uiPiu nip
 ui •sjnuopipd/sjnuwo pun] nqI सीपीपी^ पुडवकी# यूओ पत्रसी सुआ\ पिन्किज^ 9
 यूओआईपीएनएस.इनपुन uonu.inpn(| uopistnbnu nip ipiw pnpnnno.id •'op^lio3 nip 'v-c uoip3\$jo
 suoisiAOJd uoiupuinu nip ipiA\ 3uiA|diuon poipiAi im pniin)p'si p p.ionq fhipqjo
 Apun1.1oddojn1p.1nj A*un पनिउजी? OJAAX .xnip JOU jo pnsodsip 1011 njaxx *y-c uopnns
 .inpun suopnolqo jpip im sjnuoiinnd nip jo nsnn uoiuiuon \1nAnA\0q 'si q iioiqsinbnp
 pnsodojd nip inoqn xxouq o] nium Amp umpx 'py t6S I nip jo V-C यूओपीएन एन^ .इनपुन
 suoipnlqo .1 छोटा सा भूत oiiqtj 'uopB|nnjin npuxx 011 SuiAm] .indndsxxnu 111 pnqsqqnd unnq
 nuiAnq uopnni pion nip •uoiisinbnuoqi oiAipqqnd mnnbnpmu 01 nnp छोटा सा pnSn||nsi q
 '(..PVZZft I nip„sno] paLPjai jnijmuapq) AA6I '^V Aipoqmv)umudopAA(i uuqj] miu.x.inn nipjo
 t] uoipns josuoisiAoadjo wmx ui pnpou snw uoipsinbnn siqj "\^^\ \ npisid '^ -££S-MANs
 [m.wiuiuon/iipunpisaijo iuniudopAnp*A*)mumi \nsodjnd nqqnd pnippnao] snSnpiA
 pnuopuniinjojn mp in puiqjo spun .impo ipiA|iwo|n axoqi?-ui-apq pnqunsnp spun] mp
 n.qnbnu 01 Suisodoad („PV t6XI- nip if? 01 pnjanjna aniimunang) f-pxi 'PV खोलें डोर एमपी जो
 एफ यूओपीएनएस •एमपीयूएन ई()सी जूडव क्यूई आई आई आई पीएनआईयूपी सी'वी' एलएलएम/कूल'सी!
)3वी आई <> एन यूओआईएमएजे पो\ पीएनएनएसएसआई एमएन?.एक्सएबी| जो नन "\v^> \ . inuisi(J Yc
 Jopns ui qpns >pnq>] pun

(3) 1 लारियाना की सरकार ने लारियाना विकास और विनियमन शहरी क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस देने के संबंध में एक नीति बनाई। 1975 और हरियाणा शहरी विकास और विनियमन नियम। 1976 (इसके बाद क्रमशः "1975 अधिनियम" और "1976 नियम" के रूप में संदर्भित)। मूल नीतिगत निर्णय 21 नवंबर को लिया गया था। 1999 में नियंत्रित क्षेत्रों की विकास योजनाओं के आवासीय क्षेत्रों में तारांकित होटल की अनुमति दी गई, जिसके बाद 6 जनवरी को एक और निर्णय लिया गया। 2000 नोली 6 मार्च के नीतिगत निर्णय के तहत बंधी। 2000. 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले कॉलोनाइजर द्वारा खरीदी गई भूमि को मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद यदि निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन. यदि लारियाना को लगता है कि यह सुविधा वाणिज्यिक लाइसेंस देने के लिए उपयुक्त है, तो वह लाइसेंस देने के लिए सरकार की सहमति प्राप्त करेगा। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों के एकीकृत विकास और रूपांतरण शुल्क, जांच शुल्क और बाहरी विकास शुल्क के रूप में राज्य के लिए संसाधनों के सृजन के लिए तैयार किया गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं ने 21 मार्च को लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ताओं/मालिकों की भूमि पर समूह आवास/आवासीय/वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए निर्धारित प्रपत्र एलसी-1 में 1975 अधिनियम के तहत 2005, जिसके लिए कंपनी के साथ सहयोग समझौते निष्पादित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने CWPNo. 2010 के 14452 रुपये की राशि जमा की। 36.87.000. -डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 21 मार्च के माध्यम से। 2005 लाइसेंस शुल्क के रूप में। रु. 83.83 एकड़ भूमि के संबंध में जांच शुल्क के रूप में 33.93.440 रुपये। इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी.एन.ओ. 2010 में से 14451 ने 21 मार्च को लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। 2005 84.04 एकड़ भूमि के संबंध में जिसके लिए लाइसेंस शुल्क रु. 42.02.000. जांच शुल्क राशि रु. 34.01.940 का भुगतान 20 मार्च के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया। 2005. याचिकाकर्ताओं द्वारा 19 अप्रैल को लाइसेंस देने के लिए 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14453 में इसी तरह का आवेदन किया गया था। 113.04 एकड़ भूमि के संबंध में 2006। रुपये का लाइसेंस शुल्क। 17 अप्रैल दिनांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 5.00 लाख। 2006. रुपये की अतिरिक्त राशि. 33.90.000 और रु. 41.00 लाख वी/हम दोनों 26 अप्रैल के ड्राफ्ट की

मांग करते हैं। 2006 उत्तरदाताओं के पास जमा किये गये। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि लाइसेंस शुल्क और जांच शुल्क जमा करने के बावजूद। उत्तरदाताओं ने लाइसेंस देने के लिए आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया और 6 अप्रैल को निर्णय पारित करने से पहले निर्णय लिया। 2005. याचिकाकर्ताओं के लिए यह और भी आसान है, यहां तक कि जब पुरस्कार पारित किया गया, तब भी किसी भी भूमि मालिक (याचिकाकर्ता) को मुआवजा नहीं मिला और न ही अधिग्रहण के बाद कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने ज़मीन पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए खरीफ़ 2007 के लिए खसरा गिरदावरी की प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी हैं। कंपनी (2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14452 में याचिकाकर्ता नंबर 49) को 12 मई, 2005 को जिला टाउन प्लानर से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें कुछ कमियों का संकेत दिया गया था और संबंधित भूमि के संबंध में पिता की जानकारी मांगी गई थी। कंपनी ने अपने दिनांक 21 जून के पत्र के माध्यम से। 2005 ने न केवल अपेक्षित दस्तावेज़ अग्रेषित किए बल्कि उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण भी दिए। याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर निर्णय नहीं होने पर, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना को चुनौती देते हुए 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1894 (स्वराज सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) दायर की और स्थापना के लिए लाइसेंस देने की प्रार्थना की। यहां ऊपर दर्शाए गए भूमि के भूखंडों के संबंध में समूह आवास आवासीय/वाणिज्यिक कॉलोनी की। प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए और उत्तरदाताओं से मामले की स्थिति का पता लगाने के लिए कहते हुए, 7 फरवरी, 2006 के आदेश के तहत यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 19 जून, 2006 को ज्ञापन जारी कर सूचित किया। लाइसेंस देने के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध की जांच/विचार किया गया है और लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। यानी याचिकाकर्ताओं को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता थी और उन्हें आंतरिक और बाहरी विकास कार्यों आदि की अनुमानित लागत पर 25% बैंक गारंटी देने के लिए भी कहा गया था। उपरोक्त संचार में आंतरिक और बाहरी विकास कार्यों के लिए शुल्क भी निर्दिष्ट किए गए थे। हालाँकि, 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14452 में 83.88 एकड़ में से 51.89 एकड़ भूमि के संबंध में लाइसेंस देने का उल्लेख किया गया था। सी डब्ल्यूपीएनओ में याचिकाकर्ताओं को एक समान पत्र जारी किया गया था। 11451 ऑफ 2010 में 84.04 एकड़ में से 60.43 एकड़ के संबंध में लाइसेंस देने का प्रस्ताव है जबकि 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14453 में याचिकाकर्ताओं की भूमि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उपरोक्त के अलावा, एक शर्त यह थी कि याचिकाकर्ता जिसे लाइसेंस देने का प्रस्ताव है वह रिट याचिका वापस ले लेगा। याचिकाकर्ता तदनुसार 18 जुलाई, 2006 को सीडब्ल्यूपी संख्या 1894 ऑफ 2006 को वापस ले लेते हैं और भूमि के उस हिस्से के अधिग्रहण को चुनौती देने की स्वतंत्रता रखते हैं जिसके लिए आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। चूंकि उत्तरदाताओं ने शेष भूमि के संबंध में लाइसेंस नहीं दिया, याचिकाकर्ताओं ने 2006 का एक और सीडब्ल्यूपी नंबर 11408 दायर किया, (राम भगत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) अधिग्रहण भूमि के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्देश की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, इस रिट याचिका को इस बीच जारी किए गए आशय पत्र के अनुसार उत्तरदाताओं से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14452 में याचिकाकर्ताओं को 51.89 एकड़ भूमि के संबंध में 1 सितंबर, 2006 को लाइसेंस संख्या 1081 से 1104 प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14451 में रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 60.43 एकड़ भूमि के संबंध में लाइसेंस जारी किया गया है। लेकिन 2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14453 में रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं ने तदनुसार 2 मार्च, 2007 को प्रतिवादी संख्या 2 को एक अभ्यावेदन दिया। यह अभ्यावेदन उत्तरदाताओं के पास लंबित रहा। इस बीच, राज्य ने शहरी क्षेत्रों के समूह आवास / आवासीय और वाणिज्यिक विकास के लिए लाइसेंस के अधिग्रहण और अनुदान के संबंध में अपनी पिछली नीति की समीक्षा की और वर्ष 2007 में 30 सितंबर के ज्ञापन के माध्यम से एक नई व्यापक नीति अधिसूचित की गई। 2007. इस नीति का प्रासंगिक उद्घरण यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

(6) कि भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है और इसमें सूचित किए गए पैरामीटर शामिल हैं, - ज्ञापन संख्या 5/30-2007/2टीसीपी, दिनांक 30 सितंबर के माध्यम से। 2007.

(1) पुरस्कार के एक वर्ष के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा केवल उन्हीं अनुरोधों पर विचार किया जाएगा जहां धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर की गई थीं।

(2) कोई भी अनुरोध या आवेदन जहां संरचनाओं का निर्माण किया गया है, केवल धारा 48(1) के तहत रिहाई के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संरचना धारा 4 से पहले मौजूद हो और बसी हुई हो;

(3) कोई भी कारखाना या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो धारा 4 से पहले अस्तित्व में था, रिहाई के लिए विचार किया जाएगा;

(4) किसी धार्मिक संस्थान या समुदाय के स्वामित्व वाली किसी इमारत को भी रिहाई के लिए विचार किया जाएगा;

(5) कोई भी भूमि जिसके संबंध में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत मालिकों द्वारा आवेदन किया गया हो।

भूमि को कॉलोनी में परिवर्तित करने के पुरस्कार को भी इस शर्त के अधीन जारी करने पर विचार किया जा सकता है कि भूमि का स्वामित्व अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले होना चाहिए;

(6) सरकार उन जमीनों के लिए एकीकृत और नियोजित विकास के हित में जमीन जारी करने पर भी विचार कर सकती है, जहां मालिकों ने माननीय न्यायालयों से संपर्क किया है और बेदखली पर रोक लगा दी है। बशर्ते कि सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए असाधारण उचित परिस्थितियों के तहत अधिनियम की धारा 48 (आई) के तहत उपरोक्त के अलावा अन्य आधार पर भूमि जारी कर सकती है।

(7) 3 फरवरी के उनके अभ्यावेदन के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। 2007. याचिकाकर्ताओं ने 12 अप्रैल को एक और अभ्यावेदन दिया। 2007 में शेष भूमि के संबंध में लाइसेंस देने के लिए मुख्यमंत्री को स्लेट भेजा गया। इस प्रतिवेदन का भी जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने यहां ऊपर वर्णित भूमि के संबंध में तीन रिट याचिकाएं (2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4767, 2008 की 4808 और 2008 की 4809) दायर कीं। इस न्यायालय द्वारा सभी रिट याचिकाओं का निपटारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया गया, जिसमें उत्तरदाताओं को शेष भूमि के लिए लाइसेंस देने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर विचार करने और कानून के अनुसार और सरकारी नीति के अनुसार एक अवधि के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने। आगे यह निर्देश दिया गया कि जब तक उपरोक्त लंबित आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक पक्षों द्वारा कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, जिसका अर्थ यह होगा कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कोई निर्माण नहीं करेंगे या भूमि की प्रकृति को नहीं बदलेंगे।

(8) उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं संख्या 2 नियम ज्ञापन दिनांक 30 जून, 2008 ने याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। तदनुसार याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधि 4 जुलाई को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित हुआ। 2008 और उनके सामने अपनी सहजता रखी। व्यक्तिगत उपस्थिति के बावजूद प्रतिवादियों की ओर से निर्धारित अवधि के अंदर शेष भूमि के लिए लाइसेंस देने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तदनुसार, ये याचिकाएं प्रत्येक याचिका में निर्दिष्ट भूमि के संबंध में लाइसेंस देने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई हैं। 31.94 एकड़ ग्राम पचरावर में स्थित है। गढ़ी बोहर और खेड़ी साध में सेक्टर 27. जिला रोहतक, सेक्टर 27 में गांव गढ़ी बोहरंद खेड़ी साध में स्थित 23.61 एकड़ जमीन और उत्तरदाताओं द्वारा सेक्टर 27. जिला रोहतक में गांव गढ़ी बोहर में स्थित 113.04 एकड़ जमीन 93.631 एकड़ मापी गई।

(9) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा उत्तरों के दो सेट दाखिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अर्जित भूमि के स्वामित्व, लाइसेंस देने और रिहाई के लिए उनके आवेदनों के संबंध में रिट याचिकाओं में किए गए संपूर्ण तथ्यात्मक अनुमानों को स्वीकार करते हुए 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 14452 और 2010 के 14451 में याचिकाकर्ताओं को भूमि का हिस्सा और लाइसेंस प्रदान करना, यह कहा गया है कि जिस जमीन पर रबी की फसल खड़ी थी, उस जमीन का कब्जा संपदा अधिकारी, हुडा, रोहतक द्वारा नहीं लिया जा सका। / भूमि अधिग्रहण कलेक्टर। हिसार में भूमि मालिकों को उनके अनुरोध पर 30 अप्रैल, 2005 तक का समय दिया गया था। इसके बाद, मामला उपायुक्त, रोहतक

को भेजा गया, जिन्होंने 17 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर तक भूमि मालिकों के कब्जे की पुष्टि की। 2005. इसके बाद 2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1893 और 1894 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी यथास्थिति के कारण, भूमि के उन हिस्सों का कब्जा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था, याचिकाकर्ताओं से नहीं लिया जा सका। आईएल में आगे कहा गया है कि शेष भूमि के संबंध में, यह माना गया कि 6 अप्रैल को इसे सरकार में निहित करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। 2005 में कब्जा ले लिया गया और संपदा अधिकारी, 11 यूडीए को सौंप दिया गया। रोहतक. शेष भूमि के लिए लाइसेंस देने के आवेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए सीडब्ल्यूपी संख्या 4767/2008 में जारी उच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और उनके वकील को सुनने के बाद, फ़ाइल को अग्रेषित किया गया था। सरकार को उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए।

(10) 1975 अधिनियम की धारा 3 भूमि के मालिकों द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करने, लाइसेंस शुल्क का भुगतान, कॉलोनी विकसित करने के लिए रूपांतरण शुल्क से संबंधित है। निदेशक यानी प्रतिवादी नंबर 2 को धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भूमि के स्वामित्व, सीमा और स्थिति से संबंधित है। कॉलोनी विकसित करने की क्षमता, कॉलोनी का लेआउट आदि। 1976 के नियम 3 में आवेदन करने के तरीके और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है। नियम 4 और 5 में कॉलोनी के विकास के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जबकि नियम 8 निदेशक की जांच करने की शक्तियों से संबंधित है और नियम 9 आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित है।

(11) 1975 अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप। राज्य सरकार ने 28 अगस्त, 1991 के ज्ञापन के माध्यम से लाइसेंस देने के लिए अपनी पहली नीति तैयार की। विकास के लिए न केवल एचयू डीए और निजी क्षेत्र द्वारा भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया, बल्कि व्यक्तियों को भी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने और आवेदन करने की अनुमति दी गई। / एक लाइसेंस प्राप्त करें। यह उन मामलों में भी निर्णय लिया गया जहां आवेदकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या भूमि अधिग्रहण किया है, लेकिन अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने से पहले लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सके। प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भूमि की रिहाई पर विचार किया जा सकता है। इस नीति को 6 मार्च, 2000 की बाद की नीति के माध्यम से दोहराया गया था, जिसके तहत यह तय किया गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले कॉलोनाइजर द्वारा भूमि कहां खरीदी जाती है और निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। यदि लारियाना ने लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है, तो ऐसी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर विकास के लिए अनुमति दी जा सकती है। आईबिस नीति को 30 सितंबर, 2007 को आगे संशोधित किया गया था, जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण और पुरस्कार पारित होने के बाद भी रिहाई की अनुमति दी गई थी, जहां मालिकों का कब्जा जारी है या उन्होंने अपने कब्जे के संबंध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। उत्तरदाताओं ने अपने उत्तर में विस्तृत रूप से नहीं बताया है इन रिट याचिकाओं की विषय-वस्तु, भूमि पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे से संबंधित प्रश्न से निपटा गया, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि पुरस्कार पारित होने की तारीख के बाद भी उनका भूमि पर कब्जा बना हुआ है। इन याचिकाओं को दाखिल करना. इस तरह के कथन रिट याचिका के पैराग्राफ 9 और 10 में दिए गए हैं। दलीलों में, एवनेट्स के अलावा, उन्होंने अपने कब्जे के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 2007 की अवधि के लिए खसरा गिरदावरी को भी रिकॉर्ड में रखा है, यानी अवार्ड पारित होने के दो साल बाद भी। इन अनुच्छेदों के उत्तर में इन कथनों का खंडन नहीं किया गया है। विशिष्ट कथनों के उत्तर से बचने के उद्देश्य से, यह अनुरोध किया गया है कि हुडा और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे अकेले भौतिक कब्जे के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे पर टिप्पणी कर सकते हैं। प्रारंभिक आपत्तियों में, उत्तरदाताओं ने रपट रोज़नामचा का उल्लेख किया है, जो यह भी स्थापित करता है कि वर्ष 2005 में खड़ी रबी की फसल को देखते हुए, मालिकों के पास कब्जा रहने दिया गया था। भूमि पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे को विवादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई सामग्री नहीं है रिकॉर्ड पर यह स्थापित करने के लिए कि पुरस्कार पारित होने से पहले या बाद में किसी भी समय, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनसे कब्जा ले लिया गया था। इसके विपरीत।

20 मार्च के आदेश द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 2008 के 4767 और 2008 के 4808 और 2008 के 4809 का निस्तारण करते हुए। 2008. याचिकाकर्ताओं के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी गई, हालांकि याचिकाकर्ताओं को निर्माण करने और भूमि की प्रकृति को बदलने से भी रोक दिया गया था। यह याचिकाकर्ताओं के कब्जे के दावे को और मजबूत करता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया है। जब मामले की सुनवाई हुई और रिजर्व रखा गया. राज्य को लाइसेंस शुल्क के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया था। जांच शुल्क के साथ-साथ लाइसेंस देने और कब्जे के संबंध में याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

(12) उत्तरदाताओं ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र